

आज दिनांक 1 अपैल 2014 से यह एकरार किया जाता है कि रामदेव प्रसाद, पिताः— श्री जानकी दास, ग्रामः— गोसई पेसरा, डाकघरः— दिवनियाँ, प्रखण्डः— बाराचट्टी, जिलाः— गया, को कोशिश चैरिटेबल ट्रस्ट, आब्दीन हाउस, न्जर रोड, पटना 800001 के द्वारा Facilitating Transparency and Accountability for Proper Implementation of schemes/programmes on Food Security in two districts of Bihar and Strengthening Right to Food Campaign.परियोजना के अन्तर्गत गया जिला के बाराचट्टी प्रखण्ड में कार्य करने हेतु समुदायिक कार्यकर्ता के पद पर 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक एकरार किया जाता है इस पद पर कार्य करने हेतु 4400 (चार हजार चार सौ रूपये) प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जाएगा। इस परियोजना में निम्नलिखित कार्यों की जिम्मेवारी होगी—

प्रखण्ड स्तरीय कार्यों की जिम्मेवारी

- कम से कम एक प्रखण्ड के तीन पंचायत के 9 गाँवो में काम करना (आवश्यकता अनुसार बढाया जा सकता है
- प्रत्येक गांवों में ग्राम समिति, निगरानी समिति का गठन करना।
- प्रत्येक पंचायत में न्याय दल का गठन करना।
- प्रत्येक समिति की बैठक निर्धारित तिथि एवं समय पर स्निनिश्चित करना।
- निगरानी समिति एवं न्याय दल के सदस्यों के लिये समय—समय पर क्षमता विकास कार्यशाला का आयोजन करना।
- प्रत्येक पंचायत स्तर पर शिकायत पेटी लगाना एवं शिकायत हेतु ग्राम स्तर स्टॉल लगाना।
- सरकारी विभागीये स्तर पर खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित जानकारियां एकत्र करना।
- प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करना।

जिला स्तरीय कार्यों की जिम्मेवारी।

- कोशिश के अन्य कार्यक्रम में शामिल रहना।
- प्रत्येक माह बैठक एवं प्रशिक्षण में शामिल रहना।
- जिला में कहीं भी सर्वे एवं भोजन के अधिकार पर केस अध्ययन एवं सर्वे करना।
- जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं अन्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना।
- जिला स्तरीय योजनाओं से संबंधित दस्तावेज एकत्रित करना।

Koshish Charitable Trust





रिपीटिंग की जिम्मेवारी:

- अपने कार्यों की जानकारी परियोजना समन्वयक को फोन के माध्यम से देना।
- परियोजना समन्वयक एवं परियोजना के आवश्यकता अनुसार प्रतिवेदन तैयार करना।
- सभी रिर्पोटिंग प्रपत्र को भरकर परियोजना समन्वयक को सप्ताहिक एवं प्रति माह मासिक बैठक में जमा करना।
- राज्यस्तरीय एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाना।

गतिविधियाँ:

- परियोजना से संबंधित जागरूकता गतिविधियों जैसे— दिवाल लेखन, रैली, पर्चा— पोस्टर इत्यादि लगाना करना।
- आवश्यकतानुसार कोशिश एवं दाता संस्थान के प्रतिनिधियों को क्षेत्र भ्रमण कराना।
- योजना से संबंधित केस स्टडी करना और रिर्पोट तैयार कर माननीय सर्वोच्चय न्यायालय के आयुक्त के सलाहकार द्वारा नियुक्त रिर्सचर को भेजना।
- प्रत्येक माह संबंधित योजनाओं के लिए सूचना का अधिकार के तहत आम लोगों से आवेदन करवाना।
- योजनाओं से संबंधित शिकायतों को न्याय दल के माध्यम से संबंधित प्रखण्ड एवं जिला पदाधिकारियों तथा परियोजना समन्वयक को आवेदन भेजवाना।
- अगर किसी काम हेतु आप क्षेत्र से अनुपस्थित हैं तो उसके लिए परियोजना समन्वयक को पूर्व लिखित सूचना एवं टेलिफोन के माध्यम से जानकारी देना।
- आवश्यकता अनुसार संस्था अथवा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेना।

हस्ताक्षर

(रूपेश) सचिव (ऋत्विज कुमार) परियोजना समन्वयक (रामदेव प्रसाद) सामुदायिक कार्यकर्ता

Koshish Charitable Trust





आज दिनांक 01 अप्रैल 2014 से यह एकरार किया जाता है कि बद्री पासवान, पिताः— श्री रौशन पासवान, ग्रामः— बोंगियां, डाकघरः— भलुआ, प्रखण्डः— मोहनपुर, जिलाः—गया, को कोशिश चैरिटेबल ट्रस्ट, आब्दीन हाउस, च्जर रोड, पटना 800001 के द्वारा Facilitating Transparency and Accountability for Proper Implementation of schemes/programmes on Food Security in two districts of Bihar and Strengthening Right to Food Campaign.परियोजना के अन्तर्गत गया जिला के मोहनपुर प्रखण्ड में कार्य करने हेतु समुदायिक कार्यकर्ता के पद पर 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक एकरार किया जाता है इस पद पर कार्य करने हेतु 4400 (चार हजार चार सौ रूपये) प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जाएगा। इस परियोजना में निम्नलिखित कार्यों की जिम्मेवारी होगी—

प्रखण्ड स्तरीय कार्यों की जिम्मेवारी

- कम से कम एक प्रखण्ड के तीन पंचायत के 9 गाँवों में काम करना (आवश्यकता अनुसार बढाया जा सकता है।
- प्रत्येक गांवों में ग्राम समिति, निगरानी समिति का गठन करना।
- प्रत्येक पंचायत में न्याय दल का गठन करना।
- प्रत्येक समिति की बैठक निर्धारित तिथि एवं समय पर सुनिश्चित करना।
- निगरानी समिति एवं न्याय दल के सदस्यों के लिये समय—समय पर क्षमता विकास कार्यशाला का
 आयोजन करना।
- प्रत्येक पंचायत स्तर पर शिकायत पेटी लगाना एवं शिकायत हेतु ग्राम स्तर स्टॉल लगाना।
- सरकारी विभागीये स्तर पर खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित जानकारियां एकत्र करना।
- प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करना।

जिला स्तरीय कार्यों की जिम्मेवारी।

- कोशिश के अन्य कार्यक्रम में शामिल रहना।
- प्रत्येक माह बैठक एवं प्रशिक्षण में शामिल रहना।
- जिला में कहीं भी सर्वे एवं भोजन के अधिकार पर केस अध्ययन एवं सर्वे करना।
- जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं अन्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना।
- जिला स्तरीय योजनाओं से संबंधित दस्तावेज एकत्रित करना।

Koshish Charitable Trust





रिर्पोटिंग की जिम्मेवारीः

- अपने कार्यों की जानकारी परियोजना समन्वयक को फोन के माध्यम से देना।
- परियोजना समन्वयक एवं परियोजना के आवश्यकता अनुसार प्रतिवेदन तैयार करना।
- सभी रिपीटिंग प्रपत्र को भरकर परियोजना समन्वयक को सप्ताहिक एवं प्रति माह मासिक बैठक में जमा करना।
- राज्यस्तरीय एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाना।

गतिविधियाँः

- परियोजना से संबंधित जागरूकता गतिविधियों जैसे— दिवाल लेखन, रैली, पर्चा— पोस्टर इत्यादि लगाना करना।
- आवश्यकतानुसार कोशिश एवं दाता संस्थान के प्रतिनिधियों को क्षेत्र भ्रमण कराना।
- योजना से संबंधित केस स्टडी करना और रिर्पोट तैयार कर माननीय सर्वोच्चय न्यायालय के आयुक्त के सलाहकार द्वारा नियुक्त रिर्सचर को भेजना।
- प्रत्येक माह संबंधित योजनाओं के लिए सूचना का अधिकार के तहत आम लोगों से आवेदन करवाना।
- योजनाओं से संबंधित शिकायतों को न्याय दल के माध्यम से संबंधित प्रखण्ड एवं जिला पदाधिकारियों तथा परियोजना समन्वयक को आवेदन भेजवाना।
- अगर किसी काम हेतु आप क्षेत्र से अनुपस्थित हैं तो उसके लिए परियोजना समन्वयक को पूर्व लिखित सूचना एवं टेलिफोन के माध्यम से जानकारी देना।
- आवश्यकता अनुसार संस्था अथवा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेना।

हस्ताक्षर

(रूपेश) सचिव (ऋत्विज कुमार) परियोजना समन्वयक

(बद्री पासवान) सामुदायिक कार्यकर्ता

Koshish Charitable Trust





आज दिनांक 01 अपैल 2014 से यह एकरार किया जाता है कि विनोद कुमार तिवारी, पिता:— स्व0 रामगुलाम तिवारी, ग्राम:— रईस, डाकघर:— भगवतीपुर कुरमोर, प्रखण्ड:— पंडारक, जिला:—पटना, को कोशिश चैरिटेबल ट्रस्ट, आब्दीन हाउस, न्जर रोड, पटना 800001 के द्वारा Facilitating Transparency and Accountability for Proper Implementation of schemes/programmes on Food Security in two districts of Bihar and Strengthening Right to Food Campaign. परियोजना के अन्तर्गत पटना जिला के बाढ. प्रखण्ड में कार्य करने हेतु समुदायिक कार्यकर्ता के पद पर 01 अपैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक एकरार किया जाता है इस पद पर कार्य करने हेतु 4400 (चार हजार रूपये) प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जाएगा। इस परियोजना में निम्नलिखित कार्यों की जिम्मेवारी होगी—

प्रखण्ड स्तरीय कार्यों की जिम्मेवारी

- कम से कम एक प्रखण्ड के तीन पंचायत के 9 गाँवों में काम करना (आवश्यकता अनुसार बढाया जा सकता है।
- प्रत्येक गांवों में ग्राम समिति, निगरानी समिति का गठन करना।
- प्रत्येक पंचायत में न्याय दल का गठन करना।
- प्रत्येक समिति की बैठक निर्धारित तिथि एवं समय पर सुनिश्चित करना।
- निगरानी समिति एवं न्याय दल के सदस्यों के लिये समय—समय पर क्षमता विकास कार्यशाला का
 आयोजन करना।
- प्रत्येक पंचायत स्तर पर शिकायत पेटी लगाना एवं शिकायत हेतु ग्राम स्तर स्टॉल लगाना।
- सरकारी विभागीये स्तर पर खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित जानकारियां एकत्र करना।
- प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करना।

जिला स्तरीय कार्यों की जिम्मेवारी।

- कोशिश के अन्य कार्यक्रम में शामिल रहना।
- प्रत्येक माह बैठक एवं प्रशिक्षण में शामिल रहना।
- जिला में कहीं भी सर्वे एवं भोजन के अधिकार पर केस अध्ययन एवं सर्वे करना।
- जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं अन्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना।
- जिला स्तरीय योजनाओं से संबंधित दस्तावेज एकत्रित करना।

रिर्पोटिंग की जिम्मेवारीः

Koshish Charitable Trust





- अपने कार्यों की जानकारी परियोजना समन्वयक को फोन के माध्यम से देना।
- परियोजना समन्वयक एवं परियोजना के आवश्यकता अनुसार प्रतिवेदन तैयार करना।
- सभी रिर्पोटिंग प्रपत्र को भरकर परियोजना समन्वयक को सप्ताहिक एवं प्रति माह मासिक बैठक में जमा करना।
- राज्यस्तरीय एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाना।

गतिविधियाँ:

- परियोजना से संबंधित जागरूकता गतिविधियों जैसे— दिवाल लेखन, रैली, पर्चा— पोस्टर इत्यादि लगाना करना।
- आवश्यकतानुसार कोशिश एवं दाता संस्थान के प्रतिनिधियों को क्षेत्र भ्रमण कराना।
- योजना से संबंधित केस स्टडी करना और रिर्पोट तैयार कर माननीय सर्वोच्चय न्यायालय के आयुक्त के सलाहकार द्वारा नियुक्त रिर्सचर को भेजना।
- प्रत्येक माह संबंधित योजनाओं के लिए सूचना का अधिकार के तहत आम लोगों से आवेदन करवाना।
- योजनाओं से संबंधित शिकायतों को न्याय दल के माध्यम से संबंधित प्रखण्ड एवं जिला पदाधिकारियों तथा परियोजना समन्वयक को आवेदन भेजवाना।
- अगर किसी काम हेतु आप क्षेत्र से अनुपस्थित हैं तो उसके लिए परियोजना समन्वयक को पूर्व लिखित सूचना एवं टेलिफोन के माध्यम से जानकारी देना।
- आवश्यकता अनुसार संस्था अथवा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेना।

हस्ताक्षर

(रूपेश) सचिव (ऋत्विज कुमार) परियोजना समन्वयक

(विनोद कुमार तिवारी) सामुदायिक कार्यकर्ता

Koshish Charitable Trust





एकरारनामा / समझौता पत्र

एकरारनामा

आज दिनांक 01 अपैल 2014 से यह एकरार किया जाता है कि पणु कुमार, पिता:— स्व0 लॉरेन्स जॉन, पता—कुर्जी कालोनी, पटना, को कोशिश चैरिटेबल ट्रस्ट, आब्दीन हाउस, फ्रेंजर रोड, पटना 800001 के द्वारा OXFAM INDIA Programme-Facilitating Transparency and Accountability for Proper Implementation of schemes/programmes on Food Security in two districts of Bihar and Strengthening Right to Food Campaign And SUTRA Programme- Action Reseach on Empowering Grass-root justice delivery system to ensure delivery of socio-economic rights to vulnerable communities परियोजना के अन्तर्गत कोशिश चेरिटेबल ट्रस्ट, पटना में कार्य करने हेतु एकाउण्टेन्टके पद पर 01 अपैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक एकरार किया जाता है इस पद पर कार्य करने हेतु OXFAM INDIA Programme से 8250(आठ हजार दो सौ पचास पांच सौ रूपये) प्रतिमाह और SUTRA Programme से 10000(दस हजार रूपये मात्र) मानदेय के रूप में दिया जाएगा।

कोशिश चेरिटेबल ट्रस्ट, अब्दीन हाउस, फ्रेंजर रोड़, पटना 800001 और सुश्री / श्रीमित / श्री, पप्पु कुमार, पिता स्व0 लारैन्स जॉन के साथ एक वर्ष 1 अपैल 2014 से 30 मार्च 2015 तक के लिए एकरार करती है (बाद में एकरार की अवधि बढ़ाई जा सकती है) कि एकाउण्टेन्ट के पद की जिम्मेवारी से कार्य करेगें। इनका मानदेय 18,250 रूपये प्रतिमाह होगा।

इस परियोजना में निम्नलिखित कार्यों की जिम्मेवारी होगी-

अवधिः १ अप्रैल २०१४ से ३१ मार्च २०१५ तक ।

इस परियोजना में निम्नलिखित कार्यों की जिम्मेवारी होगी-

प्रथम जिम्मेवारी

कोशिश चेरिटेबल ट्रस्ट, पटना का संपूर्ण एकाउन्ट ।

- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दाता संस्थओं एवं सभी तरह के आय ब्यय का हिसाब संस्थ के कोषाध्यक्ष, सचिव एवं अध्यक्ष के आदेश से रखना।
- परियोजना व कार्यक्रम संबंधि की जानकारी रखना और प्रत्येक परियोजना के कार्यक्रम की समय सारणी के अनुसार परियोजना पदाधिकारियों / समन्वयकों के माध्यम से कार्यक्रम कराना ।
- परियोजना अर्न्तगत बजट खर्च का नियंत्रण करना और संबंधीत प्रमाणक, प्रक्रिया एव संचालन को मजबूज करना ।
- कार्यक्रम मे भागीदारी व कार्यक्रम की निरंतर निगरानी करना।
- सभी कार्यक्रम के लिए प्रमाणक का दस्तावेज (फोटो, उपस्थिति, समाचार, रसीद अन्य) अन्य परियोजना पदाधिकारियों / समन्वयकों के माध्यम से देखना करना।
- बैठक / प्रशिक्षण / बडे कार्यक्रम मे भागीदारी करना।
- विभन्न कार्योलय में संबंधित पदाधिकारी से संपर्क बनाना।
- संवंधीत कार्यक्रम व नेटवर्क से जूड़े संस्थाओं एव व्यक्तियों से खाता संवंधित जरूरतों के लिए संपंर्क बनाना।
- आय व्यय प्रमाणक सहित एकाउण्ट्स विभाग में जमा करना।
- बैठक / प्रशिक्षण / बडे कार्यक्रम मे भागीदारी करना होगा।
- आवश्यकतानुसार संस्थागत अन्य कार्यक्रम की जवाबदेही दी जा सकती है।

दूसरी जिम्मेवारी

अन्य परियोजना संबंधी जानकारी

• कार्यक्रम की जानकारी रखना व क्षेत्रीय कार्यक्रम में भागीदारी व क्षेत्र भ्रमण।

Koshish Charitable Trust





- पर्चा, फोल्डर बनाना व दस्तावेजीकरण करना और कम्पुयुटर संबंधित कार्य।
- बैठक / प्रशिक्षण / बड़े कार्यक्रम में भागीदारी करना होगा।
- सभी आवश्यकतानुसार संस्थागत अन्य कार्यक्रम की जवाबदेही दी जा सकती है।

आवश्यक जिम्मेवारी एव रपट

- प्रत्येक सप्ताह के बैठक में भागीदारी अवश्य है। इस बैठक में काम की योजना व प्रगति रिपोर्ट जानकारी देना है।
- माह के अंतिम सप्ताह में पिरयोजना के मासिक योजना के अनुसार आने वाले माह की योजना बनाकर काम करना है।
- प्रत्येक तीन माह पर संबंधित परियोजना का आंतरिक मुल्यांकन करना।
- प्रत्येक वर्ष के अन्त में संबंधित परियोजना का आंतरिक मुल्यांकन करना।
- माह, प्रत्येक तीन माह, प्रत्येक वर्ष का रिपोर्ट तैयार कर प्रमाणक के साथ, परियोजना के फारमेट के अनुसार रिपोर्ट तैयार करना।
- सभी रिपार्ट प्रबंधक के द्वारा सचिव को जमा करना।

कार्यालय का समय

- सुबह 10 से 6 बजे होगा।
- वर्ष के 16 त्योहर के अनुसार छुट्टी होगा।
- वर्ष में 15 दिन हेल्थ संबंधित छुट्टी होगा।
- वर्ष में 5 दिन आकास्मिक संबंधित छुट्टी होगा।
- किसी तरह का अनुपस्थिति के लिए आवेदन देना अनिवार्य है। ज्यादा छुट्टी होने पर मानदेय से कट जायेगा।
- माह में 10 दिन क्षेत्र भ्रमण करना पर सकता है।
- क्षेत्र भ्रमण के लिए साधारण रेल भाड़ा / बस का खर्च देय होगा।

आवश्यक बातें

- िकसी भी कार्यकर्ता को यानि संस्था का उक्त पद छोड़ना हो तो 2 माह पूर्व लिखित सूचना देना होगा। उसके आवेदन स्वीकृति के बाद ही वह अपने पद से मुक्त हो सकते है।
- व्यक्तिगत अक्समात छुट्टी के लिए एक सप्ताह पूर्व लिखित आवेदन देना होगा। इसके बाद उसे स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकता है।

हस्ताक्षर

(रूपेश) सचिव (ऋत्विज कुमार) परियोजना समन्वयक (प्रभाकर कुमार प्रजापति) परियोजना समन्वयक

(मयूरा) रिर्सचर

Koshish Charitable Trust





आज दिनांक 01 अपैल 2014 से यह एकरार किया जाता है कि ऋत्विज कुमार, पिता:— श्री रामलखन भारती, ग्राम:— तबकला पिछयारी मिठियां, डाकघर:— सकरी खुर्द, जिला:—अरवल, को कोशिश चैरिटेबल ट्रस्ट, आब्दीन हाउस, फेजर रोड, पटना 800001 के द्वारा Facilitating Transparency and Accountability for Proper Implementation of schemes/programmes on Food Security in two districts of Bihar and Strengthening Right to Food Campaign. परियोजना के अन्तर्गत कोशिश चेरिटेबल ट्रस्ट, पटना में कार्य करने हेतु परियोजना समन्वयक के पद पर 01 अपैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक एकरार किया जाता है इस पद पर कार्य करने हेतु 12,500 (बारह हजार पांच सौ रूपये) प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जाएगा। इस परियोजना में निम्नलिखित कार्यों की जिम्मेवारी होगी—

- दो जिला के चार प्रखण्ड के बारह पंचायत के 36 गाँवों में काम करना (आवश्यकता अनुसार बढाया जा सकता है)
- प्रत्येक गांवों में ग्राम समिति, निगरानी समिति का गठन करना।
- प्रत्येक पंचायत में न्याय दल का गठन करना।
- प्रत्येक समिति की बैठक निर्धारित तिथि एवं समय पर सूनिश्चित करना।
- सामुदायिक कार्यकर्ता, निगरानी सिमिति एवं न्याय दल के सदस्यों के लिये समय—समय पर क्षमता
 विकास कार्यशाला का आयोजन करना।
- प्रत्येक पंचायत स्तर पर शिकायत पेटी लगाना एवं शिकायत हेतु ग्राम स्तर स्टॉल लगाना।
- सरकारी विभागीये स्तर पर खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित जानकारियां एकत्र करना।
- राज्य, जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करना।
- परियोजना से संबंधित खर्च का आय व्यय प्रमाणक सहित चेक कर एकाउण्ट्स विभाग में जमा करना। आवश्यक कार्य एवं जिम्मेवारी
- कोशिश के अन्य कार्यक्रम में शामिल रहना।
- प्रत्येक माह बैठक एवं प्रशिक्षण में शामिल रहना।
- राज्य में कहीं भी सर्वे एवं भोजन के अधिकार पर केस अध्ययन एवं सर्वे करना।
- राज्य, जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समय समय पर बैठक आयोजित करना।
- राज्य, जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय योजनाओं से संबंधित दस्तावेज एकत्रित करना।

रिर्पोटिंग की जिम्मेवारी:

Koshish Charitable Trust





- अपने कार्ययोजना एवं कार्यों की जानकारी दाता संस्था के परियोजना समन्वयक एवं संस्था के सचिव के साथ मिलकर, ईमेल एवं फोन के माध्यम से देना।
- सभी रिपीटिंग प्रपत्र को भरकर दाता संस्था को त्रिमासिक रिपीट भेजना।
- दाता संस्था एवं संस्थान के राज्यस्तरीय एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाना।
- माह के अंतिम सप्ताह में परियोजना के मासिक योजना के अनुसार आनेवाले माह की योजना बनाकर काम करना है।
- प्रत्येक तीन माह पर संवंधीत परियोजना का आंतरिक मूल्यांकन करना।
- प्रत्येक वर्ष के अन्त में संवंधीत परियोजना का आंतरिक मूल्यांकन करना।
- माह, प्रत्येक तीन माह, प्रत्येक वर्ष का रिपोर्ट तैयार कर प्रमाणक के साथ, परियोजना के फारमेट के अनुसार रिपोर्ट तैयार करना एवं सचिव को जमा करना।

गतिविधियाँः

- परियोजना से संबंधित जागरूकता गतिविधियों जैसे– बैठक एवं प्रशिक्षण का आयोजन करना।
- आवश्यकतानुसार कोशिश एवं दाता संस्थान के प्रतिनिधियों को क्षेत्र भ्रमण कराना।
- योजना से संबंधित केस स्टडी करना और रिर्पोट तैयार कर माननीय सर्वोच्चय न्यायालय के आयुक्त के सलाहकार कार्यालय को भेजना।
- अगर किसी काम हेतु आप क्षेत्र से अनुपस्थित हैं तो उसके लिए सचिव को पूर्व लिखित सूचना देना।
- आवश्यकता अनुसार संस्था अथवा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेना।

हस्ताक्षर

(रूपेश) सचिव (ऋत्विज कुमार) परियोजना समन्वयक

Koshish Charitable Trust





आज दिनांक 01 अप्रैल 2014 से यह एकरार किया जाता है कि संजय कुमार सिंह, पिता:— श्री सूरेन्द्र नाथ सिंह पता मकान सं0 47, नागेशवर कालनी, बोरींग रोड, पटना 800001, को कोशिश चैरिटेबल ट्रस्ट, आब्दीन हाउस, फ्रेंजर रोड, पटना 800001 के द्वारा OXFAM INDIA Programme-acilitating Transparency and Accountability for Proper Implementation of schemes/programmes on Food Security in two districts of Bihar and Strengthening Right to Food Campaign. And SUTRA Programme- Action Reseach on Empowering Grass-root justice delivery system to ensure delivery of socio-economic rights to vulnerable communities परियोजना के अन्तर्गत कोशिश चेरिटेबल ट्रस्ट, पटना में कार्य करने हेतु सिनियर रिसंचर के पद पर 01 अपैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक एकरार किया जाता है इस पद पर कार्य करने हेतु OXFAM INDIA Programme से 7000 (सात हजार रूपये) प्रतिमाह And SUTRA Programme से 7000 (सात हजार रूपये) प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जाएगा।

कोशिश चेरिटेबल ट्रस्ट, अब्दीन हाउस, फ्रेजर रोड़, पटना 800001 और सुश्री/श्रीमति/श्री, संजय कुमार सिंह, पिता:— श्री सूरेन्द्र नाथ सिंह के साथ एक वर्ष 1 अपैल 2014 से 30 मार्च 2015 तक के लिए एकरार करती है (बाद में एकरार की अविध बढ़ाई जा सकती है) कि रिसंचरके पद की जिम्मेवारी से कार्य करेगें। इनका मानदेय 14000 रूपये प्रतिमाह होगा।

इस परियोजना में निम्नलिखित कार्यों की जिम्मेवारी होगी-

परियोजना : भोजन के अधिकार अभियान व पी यू सी एल केस के अर्न्तगत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त के सलाहकार के कार्यसंबंधि की जिम्मेवारी।

- परियोजना व कार्यक्रम संबंधे की जानकारी रखना
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयूक्त को रिपोर्ट के लिये कार्यक्रम की वार्षिक एवं मासीक समय सारणी बनाना एवं उसके अनुसार कार्यक्रम कराना और रिपार्ट तैयार करना।
- बैठक / प्रशिक्षण / बडे कार्यक्रम मे भागीदारी करना।
- सर्वे, केस स्टडी व क्षेत्र भ्रमण करना ।
- खाद्य सूरक्षा से जूडे. कार्यक्रम की जानकारी व संवंधीत विभन्न कार्योलय में पदाधिकारी से संपर्क बनाना।
- कार्यक्रम संवंधी पत्राचार ।

दूसरी जिम्मेवारी

संभी परियोजना व कार्यक्रम की जानकारी रखना एवं उसके क्रियान्वयन के लिए परियोजना पदाध्कारियों के माध्यम से काम करना।

- संवंधीत परियोजना अधिकारी से कार्यक्रम व रिपोर्ट के संदर्भ में बातचीत करना एवं रिपोर्ट लेना।
- आवश्यकतानुसार संस्थागत अन्य कार्यक्रम की जवाबदेही दी जा सकती है।

आवश्यक जिम्मेवारी एवं रपट

- प्रत्येक सप्ताह के बैठक में भागिदारी अवश्यक है। इस बैठक में काम की योजना व प्रगति रिपोर्ट जानकारी देना है।
- दाता संस्थओं के आवश्यकतानुसार सभी रिपोर्ट / स्पष्टीकरण के लिए परियोजना पदाध्किरियों के साथ मिलकर तैयार करना । नई परियोजना का निर्माण करना है। इस रिपोर्ट एवं परियोजना को प्रवंधक / सचिव के साथ मिलकर फाइनल कर उनके पास जमा करना।

Koshish Charitable Trust

 $Abd in \ House, Fraser \ Road, Patna-800\ 001, Tel:\ 91-612-2207912, Mail: \\ Koshish_pt@yahoo.com, Web: \\ http://koshish.info/Moshish$





• सभी जानकारी को प्रवंधक / सचिव को जानकारी देना अनिवार्य है। आपके **रिपोटींग पदाधिकरी सचिव** हैं।

कार्यालय का समय

- सुबह 10 से 5 बजे होगा।
- वर्ष में पर्व त्योहार छुट्टी लिस्ट के अनुसार होगा।
- किसी तरह का अनुपस्थिति के लिए आवेदन देना अनिवार्य है।
- सभी काम के लिए अन्तिम तारीख से पहले करना आवश्यक शर्त है।

आवश्यक बातें व शर्ते

- कोशिश की स्थापना से अब तक का सफर, मुख्य लक्ष्य, उदेश्य कार्यक्रम और उपल्बधियां व अन्य कार्यक्रम की जानकारी अवश्य रखें।
- भारत का संविधन, कानून, अर्न्तराष्ट्रीय समझौता ;मानव अध्कार सार्वभौम घोषणा पत्र, पंचायती राज, दिलत अधिकार कानून, सूचना का अधिकार कानून आदी की जानकारी रखे । समय समय पर जानकारी लेते रहें। गरिवी उन्मूलन व सर्यक्तिकरण कार्यक्रम की जानकारी रखें।
- किसी भी कार्यकर्ता को यानि संस्था का उक्त पद छोडना हो तो 2 माह पूर्व लिखीत सूचना देना होगा। उसके आवेदन स्वीकृति के बाद ही वह अपने पद से मुक्त हो सकते है।उन्हें कोशिश के सचिव अथवा प्रबंधक से नो डयूज का पत्र लेना होगा। अन्यथा उनपर कानूनी प्रक्रिया और हरजाना शुल्क देना होगा।
- व्यक्तिगत अक्समात छुट्टी के लिए एक सप्ताह पूर्व लिखित आवेदन देना होगा । इसके बाद उसे स्वीकृत / अस्वीकृत किया जा सकता है।
- प्रथम जिम्मेवारी वाली परियोजना की जिम्मेवारी प्रबंधक / सचिव के आदेश से बदली जा सकती है। यह समझौता दाता संस्था द्वारा सहयोग के आशा पर की जा रही है। दाता संस्था द्वारा परियोजना अस्वीकृत होने पर प्रबंधक / सचिव द्वारा सूचना कर समझौता समाप्त किया जा सकता है और कोई मानदेय नहीं होगा।
- समय पर काम पुरा न होने और टारगेट पूरा न होने के आधार पर बिना मानदेय के समझौता रद्द किया जा सकता है।
- कोशिश के द्वारा समझौता रद्द होने पर समझौताकर्ता कोई कानूनी प्रक्रिया में नद्री जायेंगें।
 समझौता अवधी को बढ़ाने के लिए समझौताकर्ता द्वारा एक माह पुर्व आवेदन देना होगा। सचिव इसे बढ़ा सकते हैं। परन्तु इसे कार्यकारिणी व आम सभा में सहमति के बाद निश्चित माना जाएगा।

हस्ताक्षर

(रूपेश) सचिव (ऋत्विज कुमार) परियोजना समन्वयक

(प्रभाकर कुमार प्रजापति) परियोजना समन्वयक (मयूरी) रिर्सचर

Koshish Charitable Trust





आज दिनांक 01 अप्रैल 2014 से यह एकरार किया जाता है कि संजय कुमार सिंह, पिता:— श्री सूरेन्द्र नाथ सिंह पता मकान सं0 47, नागेशवर कालनी, बोरींग रोड, पटना 800001, को कोशिश चैरिटेबल ट्रस्ट, आब्दीन हाउस, फ्रेंजर रोड, पटना 800001 के द्वारा OXFAM INDIA Programme-acilitating Transparency and Accountability for Proper Implementation of schemes/programmes on Food Security in two districts of Bihar and Strengthening Right to Food Campaign. परियोजना के अन्तर्गत कोशिश चेरिटेबल ट्रस्ट, पटना में कार्य करने हेतु सिनियर रिसंचर के पद पर 01 अपैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक एकरार किया जाता है इस पद पर कार्य करने हेतु OXFAM INDIA Programme से 7000 (सात हजार रूपये) प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जाएगा।

कोशिश चेरिटेबल ट्रस्ट, अब्दीन हाउस, फ्रेजर रोड़, पटना 800001 और सुश्री/श्रीमति/श्री, संजय कुमार सिंह, पिता:— श्री सूरेन्द्र नाथ सिंह के साथ एक वर्ष 1 अपैल 2014 से 30 मार्च 2015 तक के लिए एकरार करती है (बाद में एकरार की अविध बढ़ाई जा सकती है) कि रिर्सचरके पद की जिम्मेवारी से कार्य करेगें। इनका मानदेय 7000 रूपये प्रतिमाह होगा।

इस परियोजना में निम्नलिखित कार्यों की जिम्मेवारी होगी-

परियोजना : भोजन के अधिकार अभियान व पी यू सी एल केस के अर्न्तगत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त के सलाहकार के कार्यसंबंधि की जिम्मेवारी।

- परियोजना व कार्यक्रम संबंधे की जानकारी रखना
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयूक्त को रिपोर्ट के लिये कार्यक्रम की वार्षिक एवं मासीक समय सारणी बनाना एवं उसके अनुसार कार्यक्रम कराना और रिपार्ट तैयार करना।
- बैठक / प्रशिक्षण / बडे कार्यक्रम मे भागीदारी करना।
- सर्वे, केस स्टडी व क्षेत्र भ्रमण करना ।
- खाद्य सूरक्षा से जूडे. कार्यक्रम की जानकारी व संवंधीत विभन्न कार्योलय में पदाधिकारी से संपर्क बनाना।
- कार्यक्रम संवंधी पत्राचार ।

दूसरी जिम्मेवारी

सभी परियोजना व कार्यक्रम की जानकारी रखना एवं उसके क्रियान्वयन के लिए परियोजना पदाध्कारियों के माध्यम से काम करना।

- संवंधीत परियोजना अधिकारी से कार्यक्रम व रिपोर्ट के संदर्भ में बातचीत करना एवं रिपोर्ट लेना।
- आवश्यकतानुसार संस्थागत अन्य कार्यक्रम की जवाबदेही दी जा सकती है।

आवश्यक जिम्मेवारी एवं रपट

- प्रत्येक सप्ताह के बैठक में भागिदारी अवश्यक है। इस बैठक में काम की योजना व प्रगति रिपोर्ट जानकारी देना है।
- दाता संस्थओं के आवश्यकतानुसार सभी रिपोर्ट / स्पष्टीकरण के लिए परियोजना पदाध्किरियों के साथ मिलकर तैयार करना । नई परियोजना का निर्माण करना है। इस रिपोर्ट एवं परियोजना को प्रवंधक / सचिव के साथ मिलकर फाइनल कर उनके पास जमा करना।
- सभी जानकारी को प्रवंधक / सचिव को जानकारी देना अनिवार्य है। आपके रिपोटींग पदाधिकरी सचिव हैं।

कार्यालय का समय

Koshish Charitable Trust





- सुबह 10 से 5 बजे होगा।
- वर्ष में पर्व त्योहार छुट्टी लिस्ट के अनुसार होगा।
- किसी तरह का अनुपस्थिति के लिए आवेदन देना अनिवार्य है।
- सभी काम के लिए अन्तिम तारीख से पहले करना आवश्यक शर्त है।

आवश्यक बातें व शर्ते

- कोशिश की स्थापना से अब तक का सफर, मुख्य लक्ष्य, उदेश्य कार्यक्रम और उपल्बधियां व अन्य कार्यक्रम की जानकारी अवश्य रखें।
- भारत का संविधन, कानून, अर्न्तराष्ट्रीय समझौता ;मानव अध्कार सार्वभौम घोषणा पत्र, पंचायती राज, दिलत अधिकार कानून, सूचना का अधिकार कानून आदी की जानकारी रखे । समय समय पर जानकारी लेते रहें। गरिवी उन्मूलन व सर्यक्तिकरण कार्यक्रम की जानकारी रखें।
- किसी भी कार्यकर्ता को यानि संस्था का उक्त पद छोडना हो तो 2 माह पूर्व लिखीत सूचना देना होगा।
 उसके आवेदन स्वीकृति के बाद ही वह अपने पद से मुक्त हो सकते है। उन्हें कोशिश के सचिव अथवा प्रबंधक से नो डयूज का पत्र लेना होगा। अन्यथा उनपर कानूनी प्रक्रिया और हरजाना शुल्क देना होगा।
- व्यक्तिगत अक्समात छुट्टी के लिए एक सप्ताह पूर्व लिखित आवेदन देना होगा । इसके बाद उसे स्वीकृत / अस्वीकृत किया जा सकता है।
- प्रथम जिम्मेवारी वाली परियोजना की जिम्मेवारी प्रबंधक / सचिव के आदेश से बदली जा सकती है। यह समझौता दाता संस्था द्वारा सहयोग के आशा पर की जा रही है। दाता संस्था द्वारा परियोजना अस्वीकृत होने पर प्रबंधक / सचिव द्वारा सूचना कर समझौता समाप्त किया जा सकता है और कोई मानदेय नहीं होगा।
- समय पर काम पुरा न होने और टारगेट पूरा न होने के आधार पर बिना मानदेय के समझौता रद्द किया जा सकता है।
- कोशिश के द्वारा समझौता रद्द होने पर समझौताकर्ता कोई कानूनी प्रक्रिया में नद्दी जायेंगें।
 समझौता अवधी को बढ़ाने के लिए समझौताकर्ता द्वारा एक माह पुर्व आवेदन देना होगा। सचिव इसे बढ़ा सकते हैं। परन्तु इसे कार्यकारिणी व आम सभा में सहमति के बाद निश्चित माना जाएगा।

हस्ताक्षर

(रूपेश) सचिव (ऋत्विज कुमार) परियोजना समन्वयक (संजय कुमार सिंह) रिर्सचर

Koshish Charitable Trust





आज दिनांक 01 अप्रैल 2014 से यह एकरार किया जाता है कि संजय कुमार सिंह, पिता:— श्री सूरेन्द्र नाथ सिंह पता मकान सं0 47, नागेशवर कालनी, बोरींग रोड, पटना 800001, को कोशिश चैरिटेबल ट्रस्ट, आब्दीन हाउस, फेजर रोड, पटना 800001 के द्वारा SUTRA Programme- Action Reseach on Empowering Grass-root justice delivery system to ensure delivery of socio-economic rights to vulnerable communities परियोजना के अन्तर्गत कोशिश चेरिटेबल ट्रस्ट, पटना में कार्य करने हेतु सिनियर रिर्सचर के पद पर 01 अपैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक एकरार किया जाता है इस पद पर कार्य करने हेतु SUTRA Programme से 7000 (सात हजार रूपये) प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जाएगा।

कोशिश चेरिटेबल ट्रस्ट, अब्दीन हाउस, फ्रेंजर रोड़, पटना 800001 और सुश्री/श्रीमति/श्री, संजय कुमार सिंह, पिता:— श्री सूरेन्द्र नाथ सिंह के साथ एक वर्ष 1 अपैल 2014 से 30 मार्च 2015 तक के लिए एकरार करती है (बाद में एकरार की अवधि बढ़ाई जा सकती है) कि रिर्सचरके पद की जिम्मेवारी से कार्य करेगें। इनका मानदेय 7000 रूपये प्रतिमाह होगा।

इस परियोजना में निम्नलिखित कार्यों की जिम्मेवारी होगी-

परियोजना : भोजन के अधिकार अभियान व पी यू सी एल केस के अर्न्तगत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त के सलाहकार के कार्यसंबंध की जिम्मेवारी।

- परियोजना व कार्यक्रम संबंधे की जानकारी रखना
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयूक्त को रिपोर्ट के लिये कार्यक्रम की वार्षिक एवं मासीक समय सारणी बनाना एवं उसके अनुसार कार्यक्रम कराना और रिपार्ट तैयार करना।
- बैठक / प्रशिक्षण / बडे कार्यक्रम मे भागीदारी करना।
- सर्वे, केस स्टडी व क्षेत्र भ्रमण करना ।
- खाद्य सूरक्षा से जूडे. कार्यक्रम की जानकारी व संवंधीत विभन्न कार्योलय में पदाधिकारी से संपर्क बनाना।
- कार्यक्रम संवंधी पत्राचार ।

दूसरी जिम्मेवारी

सभी परियोजना व कार्यक्रम की जानकारी रखना एवं उसके क्रियान्वयन के लिए परियोजना पदाध्किारियों के माध्यम से काम करना।

- संवंधीत परियोजना अधिकारी से कार्यक्रम व रिपोर्ट के संदर्भ में बातचीत करना एवं रिपोर्ट लेना।
- आवश्यकतानुसार संस्थागत अन्य कार्यक्रम की जवाबदेही दी जा सकती है।

आवश्यक जिम्मेवारी एवं रपट

- प्रत्येक सप्ताह के बैठक में भागिदारी अवश्यक है। इस बैठक में काम की योजना व प्रगति रिपोर्ट जानकारी देना है।
- दाता संस्थओं के आवश्यकतानुसार सभी रिपोर्ट / स्पष्टीकरण के लिए पिरयोजना पदाध्किारियों के साथ मिलकर तैयार करना । नई पिरयोजना का निर्माण करना है। इस रिपोर्ट एवं पिरयोजना को प्रवंधक / सचिव के साथ मिलकर फाइनल कर उनके पास जमा करना।
- सभी जानकारी को प्रवंधक / सचिव को जानकारी देना अनिवार्य है। आपके रिपोटींग पदाधिकरी सचिव हैं।

कार्यालय का समय

• सुबह 10 से 5 बजे होगा।

Koshish Charitable Trust





- वर्ष में पर्व त्योहार छुट्टी लिस्ट के अनुसार होगा।
- किसी तरह का अनुपस्थिति के लिए आवेदन देना अनिवार्य है।
- सभी काम के लिए अन्तिम तारीख से पहले करना आवश्यक शर्त है।

आवश्यक बातें व शर्ते

- कोशिश की स्थापना से अब तक का सफर, मुख्य लक्ष्य, उदेश्य कार्यक्रम और उपल्बधियां व अन्य कार्यक्रम की जानकारी अवश्य रखें।
- भारत का संविधन, कानून, अर्न्तराष्ट्रीय समझौता ;मानव अध्कार सार्वभौम घोषणा पत्र, पंचायती राज, दिलत अधिकार कानून, सूचना का अधिकार कानून आदी की जानकारी रखे । समय समय पर जानकारी लेते रहें। गरिवी उन्मूलन व सर्यक्तिकरण कार्यक्रम की जानकारी रखें।
- किसी भी कार्यकर्ता को यानि संस्था का उक्त पद छोडना हो तो 2 माह पूर्व लिखीत सूचना देना होगा। उसके आवेदन स्वीकृति के बाद ही वह अपने पद से मुक्त हो सकते है।उन्हें कोशिश के सचिव अथवा प्रबंधक से नो डयूज का पत्र लेना होगा। अन्यथा उनपर कानूनी प्रक्रिया और हरजाना शुल्क देना होगा।
- व्यक्तिगत अक्समात छुट्टी के लिए एक सप्ताह पूर्व लिखित आवेदन देना होगा । इसके बाद उसे स्वीकृत / अस्वीकृत किया जा सकता है।
- प्रथम जिम्मेवारी वाली परियोजना की जिम्मेवारी प्रबंधक / सचिव के आदेश से बदली जा सकती है। यह समझौता दाता संस्था द्वारा सहयोग के आशा पर की जा रही है। दाता संस्था द्वारा परियोजना अस्वीकृत होने पर प्रबंधक / सचिव द्वारा सूचना कर समझौता समाप्त किया जा सकता है और कोई मानदेय नहीं होगा।
- समय पर काम पुरा न होने और टारगेट पूरा न होने के आधार पर बिना मानदेय के समझौता रद्द किया जा सकता है।
- कोशिश के द्वारा समझौता रद्द होने पर समझौताकर्ता कोई कानूनी प्रक्रिया में नहीं जायेंगें। समझौता अवधी को बढ़ाने के लिए समझौताकर्ता द्वारा एक माह पुर्व आवेदन देना होगा। सचिव इसे बढ़ा सकते हैं। परन्तु इसे कार्यकारिणी व आम सभा में सहमति के बाद निश्चित माना जाएगा।

हस्ताक्षर

(रूपेश) सचिव (प्रभाकर कुमार प्रजापति) परियोजना समन्वयक (संजय कुमार सिंह) रिर्सचर

Koshish Charitable Trust





आज दिनांक 01 अप्रैल 2014 से यह एकरार किया जाता है कि मयूरी, पिता:—सुरेन्द्र कुमार कर्ण, 14, अपरीजिता अर्पाटमेंट, बहादुरपुर, हाउसींग कॉलोनी, भूतनाथ रोड़, पटना—26 बिहार को कोशिश चैरिटेबल ट्रस्ट, आब्दीन हाउस, फेजर रोड, पटना 800001 के द्वारा OXFAM INDIA Programme-acilitating Transparency and Accountability for Proper Implementation of schemes/programmes on Food Security in two districts of Bihar and Strengthening Right to Food Campaign And SUTRA Programme- Action Reseach on Empowering Grass-root justice delivery system to ensure delivery of socio-economic rights to vulnerable communities परियोजना के अन्तर्गत कोशिश चेरिटेबल ट्रस्ट, पटना में कार्य करने हेतु Field Resercher के पद पर 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक एकरार किया जाता है इस पद पर कार्य करने हेतु OXFAM INDIA Programme से 7000 (सात हजार रूपये) प्रतिमाह And SUTRA Programme स 7000 (सात हजार रूपये) प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जाएगा।

कोशिश चेरिटेबल ट्रस्ट, अब्दीन हाउस, फ्रेंजर रोड़, पटना 800001 और सुश्री/श्रीमिति/श्री, मयूरी, पिता:—सुरेन्द्र कुमार कर्ण के साथ एक वर्ष 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक के लिए एकरार करती है (बाद में एकरार की अवधि बढ़ाई जा सकती है) कि Field Resercher के पद की जिम्मेवारी से कार्य करेगें। इनका मानदेय 14000 रूपये प्रतिमाह होगा।

इस परियोजना में निम्नलिखित कार्यों की जिम्मेवारी होगी-

परियोजना : भोजन के अधिकार अभियान व पी यू सी एल केस के अर्न्तगत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त के सलाहकार के कार्यसंबंध की जिम्मेवारी।

- परियोजना व कार्यक्रम संबंधि की जानकारी रखना
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयूक्त को रिपोर्ट के लिये कार्यक्रम की वार्षिक एवं मासीक समय सारणी बनाना एवं उसके अनुसार कार्यक्रम कराना और रिपार्ट तैयार करना।
- बैठक / प्रशिक्षण / बडे कार्यक्रम मे भागीदारी करना।
- सर्वे. केस स्टडी व क्षेत्र भ्रमण करना ।
- खाद्य सूरक्षा से जूडे. कार्यक्रम की जानकारी व संवंधीत विभन्न कार्योलय में पदाधिकारी से संपर्क बनाना।
- कार्यक्रम संवंधी पत्राचार ।

दसरी जिम्मेवारी

संभी परियोजना व कार्यक्रम की जानकारी रखना एवं उसके क्रियान्वयन के लिए परियोजना पदाध्कारियों के माध्यम से काम करना।

- संवंधीत परियोजना अधिकारी से कार्यक्रम व रिपोर्ट के संदर्भ में बातचीत करना एवं रिपोर्ट लेना।
- आवश्यकतानुसार संस्थागत अन्य कार्यक्रम की जवाबदेही दी जा सकती है।

आवश्यक जिम्मेवारी एवं रपट

 प्रत्येक सप्ताह के बैठक में भागिदारी अवश्यक है। इस बैठक में काम की योजना व प्रगति रिपोर्ट जानकारी देना है।

Koshish Charitable Trust





- दाता संस्थओं के आवश्यकतानुसार सभी रिपोर्ट / स्पष्टीकरण के लिए परियोजना पदाध्किरियो के साथ मिलकर तैयार करना । नई परियोजना का निर्माण करना है। इस रिपोर्ट एवं परियोजना को प्रवंधक / सचिव के साथ मिलकर फाइनल कर उनके पास जमा करना।
- सभी जानकारी को प्रवंधक / सचिव को जानकारी देना अनिवार्य है। आपके **रिपोटींग पदाधिकरी सचिव** हैं।

कार्यालय का समय

- सुबह 10 से 5 बजे होगा।
- वर्ष में पर्व त्योहार छुट्टी लिस्ट के अनुसार होगा।
- किसी तरह का अनुपस्थिति के लिए आवेदन देना अनिवार्य है।
- सभी काम के लिए अन्तिम तारीख से पहले करना आवश्यक शर्त है।

आवश्यक बातें व शर्ते

- कोशिश की स्थापना से अब तक का सफर, मुख्य लक्ष्य, उद्श्य कार्यक्रम और उपल्बधियां व अन्य कार्यक्रम की जानकारी अवश्य रखें।
- भारत का संविधन, कानून, अर्न्तराष्ट्रीय समझौता ;मानव अध्कार सार्वभौम घोषणा पत्र, पंचायती राज, दिलत अधिकार कानून, सूचना का अधिकार कानून आदी की जानकारी रखे । समय समय पर जानकारी लेते रहें। गरिवी उन्मूलन व सर्यक्तिकरण कार्यक्रम की जानकारी रखें।
- किसी भी कार्यकर्ता को यानि संस्था का उक्त पद छोडना हो तो 2 माह पूर्व लिखीत सूचना देना होगा।
 उसके आवेदन स्वीकृति के बाद ही वह अपने पद से मुक्त हो सकते है। उन्हें कोशिश के सचिव अथवा प्रबंधक से नो डयूज का पत्र लेना होगा। अन्यथा उनपर कानूनी प्रक्रिया और हरजाना शुल्क देना होगा।
- व्यक्तिगत अक्समात छुट्टी के लिए एक सप्ताह पूर्व लिखित आवेदन देना होगा । इसके बाद उसे स्वीकृत / अस्वीकृत किया जा सकता है।
- प्रथम जिम्मेवारी वाली परियोजना की जिम्मेवारी प्रबंधक / सचिव के आदेश से बदली जा सकती है। यह समझौता दाता संस्था द्वारा सहयोग के आशा पर की जा रही है। दाता संस्था द्वारा परियोजना अस्वीकृत होने पर प्रबंधक / सचिव द्वारा सूचना कर समझौता समाप्त किया जा सकता है और कोई मानदेय नहीं होगा।
- समय पर काम पुरा न होने और टारगेट पूरा न होने के आधार पर बिना मानदेय के समझौता रद्द किया जा सकता है।
- कोशिश के द्वारा समझौता रद्द होने पर समझौताकर्ता कोई कानूनी प्रक्रिया में नहीं जायेंगें।
 समझौता अवधी को बढ़ाने के लिए समझौताकर्ता द्वारा एक माह पुर्व आवेदन देना होगा। सचिव इसे बढ़ा सकते हैं। परन्तु इसे कार्यकारिणी व आम सभा में सहमित के बाद निश्चित माना जाएगा।

हस्ताक्षर

(रूपेश) (ऋत्विज कुमार) (प्रभाकर कुमार प्रजापति) (मयूरी) सचिव परियोजना समन्वयक परियोजना समन्वयक रिर्सचर

Koshish Charitable Trust





आज दिनांक 1 अपेल 2014 से यह एकरार किया जाता है कि पवन कुमार, पिता:— श्री मोहन प्रसाद, ग्राम:— चारहजार मोहल्ला, डाकघर:— मनेर, प्रखण्ड:— मनेर, जिला:— पटना, को कोशिश चैरिटेबल ट्रस्ट, आब्दीन हाउस, च्जर रोड, पटना 800001 के द्वारा Facilitating Transparency and Accountability for Proper Implementation of schemes/programmes on Food Security in two districts of Bihar and Strengthening Right to Food Campaign.परियोजना के अन्तर्गत गया जिला के बाराचट्टी प्रखण्ड में कार्य करने हेतु समुदायिक कार्यकर्ता के पद पर 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक एकरार किया जाता है इस पद पर कार्य करने हेतु 4400 (चार हजार चार सौ रूपये) प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जाएगा। इस परियोजना में निम्नलिखित कार्यों की जिम्मेवारी होगी—

प्रखण्ड स्तरीय कार्यों की जिम्मेवारी

- प्रत्येक गांवों में ग्राम समिति, निगरानी समिति का गठन करना।
- प्रत्येक पंचायत में न्याय दल का गठन करना।
- प्रत्येक समिति की बैठक निर्धारित तिथि एवं समय पर सुनिश्चित करना।
- निगरानी समिति एवं न्याय दल के सदस्यों के लिये समय-समय पर क्षमता विकास कार्यशाला का
 आयोजन करना।
- प्रत्येक पंचायत स्तर पर शिकायत पेटी लगाना एवं शिकायत हेतु ग्राम स्तर स्टॉल लगाना।
- सरकारी विभागीये स्तर पर खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित जानकारियां एकत्र करना।
- प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करना।

जिला स्तरीय कार्यों की जिम्मेवारी।

- कोशिश के अन्य कार्यक्रम में शामिल रहना।
- प्रत्येक माह बैठक एवं प्रशिक्षण में शामिल रहना।
- जिला में कहीं भी सर्वे एवं भोजन के अधिकार पर केस अध्ययन एवं सर्वे करना।
- जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं अन्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना।
- जिला स्तरीय योजनाओं से संबंधित दस्तावेज एकत्रित करना।

Koshish Charitable Trust





रिर्पोटिंग की जिम्मेवारीः

- अपने कार्यों की जानकारी परियोजना समन्वयक को फोन के माध्यम से देना।
- परियोजना समन्वयक एवं परियोजना के आवश्यकता अनुसार प्रतिवेदन तैयार करना।
- सभी रिर्पोटिंग प्रपत्र को भरकर परियोजना समन्वयक को सप्ताहिक एवं प्रति माह मासिक बैठक में जमा करना।
- राज्यस्तरीय एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाना।

गतिविधियाँ:

- परियोजना से संबंधित जागरूकता गतिविधियों जैसे— दिवाल लेखन, रैली, पर्चा— पोस्टर इत्यादि लगाना करना।
- आवश्यकतानुसार कोशिश एवं दाता संस्थान के प्रतिनिधियों को क्षेत्र भ्रमण कराना।
- योजना से संबंधित केस स्टडी करना और रिर्पोट तैयार कर माननीय सर्वोच्चय न्यायालय के आयुक्त के सलाहकार द्वारा नियुक्त रिर्सचर को भेजना।
- प्रत्येक माह संबंधित योजनाओं के लिए सूचना का अधिकार के तहत आम लोगों से आवेदन करवाना।
- योजनाओं से संबंधित शिकायतों को न्याय दल के माध्यम से संबंधित प्रखण्ड एवं जिला पदाधिकारियों तथा परियोजना समन्वयक को आवेदन भेजवाना।
- अगर किसी काम हेतु आप क्षेत्र से अनुपस्थित हैं तो उसके लिए परियोजना समन्वयक को पूर्व लिखित सूचना एवं टेलिफोन के माध्यम से जानकारी देना।
- आवश्यकता अनुसार संस्था अथवा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेना।

हस्ताक्षर

(रूपेश) सचिव (ऋत्विज कुमार) परियोजना समन्वयक

(पवन कुमार) सामुदायिक कार्यकर्ता

Koshish Charitable Trust

